न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी–प्रियंका तलानिया(आर.ए.एस.)
वाद संख्याः–09 / 2022

विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत पुत्र स्व. दलपत सिंह जाति राजपूत निवासी बंगलानगर बीकानेर जिला बीकानेर (राज.)

–––प्रार्थी

बनाम्

तहसीलदार(राजस्व), अनूपगढ़ जिला श्री गंगानगर(राज.)

–––––अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 भू–राजस्व अधिनियम

::निर्णय:: **दिनांक–20.09.2022**

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके चक–17 एपीडी का मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–271 / 403 का 6.198 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी व उसकी माता राजेश कंवर के नाम से दर्ज है जमाबंदी की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त कृषि भूमि प्रार्थी के नाम से 1/3 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई वरवक्त राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होते समय प्रार्थी नाबालिग था एवं प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। प्रार्थी के नाबालिग से बालिग होने पर प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजात में नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह दर्ज हुआ एवं प्रार्थी का आधार कार्ड भी बना जो लोक दस्तावेज है जिस पर संदेह नही किया जा सकता। आधार कार्ड की प्रति संलग्न है। प्रार्थी वर्तमान मे राजस्थान तकनीकी शिक्षा विभाग के व्याख्याता / प्रवक्ता के पद पर कार्यरत है। जिसमें भी प्रार्थी का नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह दर्ज है जिसकी छायाप्रति भी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कृषि भूमि के सहकाश्तकार सुनिता छाबड़ा द्वारा अपने 1/3 हिस्सा का पंजीकृत बैयनामा भी प्रार्थी के पक्ष में निष्पादित हुआ जिसमें भी प्रार्थी का नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत दर्ज है।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। राजपैरोकार उपस्थित। मुताबिक तहसीलदार अनूपगढ से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 17 एपीडी पत्थर नं.–271 / 403 मुरब्बा नं.–24 के किला नं. –1ता25 रकबा 6.325 हैक्टर भूमि विरेन्द्र सिंह पुत्र दलपत सिंह हिस्सा 1/3 जाति राजपूत साकिन देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 पूर्ण खाता एसबीबीजे (एडीबी) अनूपगढ के नाम दर्ज रिकॉर्ड है उक्त भूमि नामान्तरण संख्या–06 / 04.07.1992 को जरिये वसीयत विरेन्द्र सिंह पुत्र दलपत सिंह के नाम दर्ज हुई थी और उक्त भूमि की नामान्तरण सं.–58 / 24.02.2006 को खातेदारी दर्ज हुई थी प्रार्थी विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत पुत्र दलपत सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी वार्ड नं–60 गजनेर रोड़ बाल भारती स्कूल बंगलानगर बीकानेर के नाम दुरूस्ती बाबत दावा श्रीमान्जी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज. की अंकतालिका क्रमांक 053439 / 01.01.2002 में नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत पुत्र दलपत सिंह शेखावत है और आधार कार्ड में नाम विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत पुत्र दलपत सिंह शेखावत निवासी वार्ड नं.–60 गजनेर रोड़ बाल भारती स्कूल बंगलानगर बीकानेर है। तहसीलदार, अनूपगढ़ ने नाम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.02 17:19:41 IST
Reason: Self Attested

वकील प्रार्थी एवं राजपैरोकार उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। पत्रावली में दर्ज तथ्यों एवं सलंग्न दस्तावेजात का गहनता से मनन किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी द्वारा पेश किये गये साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली में प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात व रिपोर्ट पर मनन करने के पश्चात न्यायलय की राय में प्रार्थी यह साबित करने में सफल रहा है कि प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह न होकर विरेन्द्र

प्रताप सिंह शेखावत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर न्यायहित में का नाम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

::आदेश::

अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को आदेशित किया जाता है कि चक–17 एपीडी का मुरब्बा नं.–24 पत्थर नं.–271/403 का 6.198 हैक्टर कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम विरेन्द्र सिंह के स्थान विरेन्द्र प्रताप सिंह शेखावत का अंकन किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 20/09/2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Priyanka Talania
Date: 2022.11.02 17:19:41 IST
Reason: SelfAttested